

पर निर्मित व स्थित है भूमि के समस्त टिकाऊ अधिकार ही विक्रय किये जा रहे हैं विक्रीत प्लैट में आने जाने के लिए जीना मुश्तर्का रहेगा, क्रेता फरीक दायम उक्त प्लैट को रिहायश के रूप में ही इस्तेमाल करेगा, उपरोक्त प्लैट की छत व भूतल विक्रय से अलैहदा है यह भी शर्त साफ तौर करार पाई है कि सानी उलहाल कोई सहीम या शरीक या हिस्सेदार या हकदार या किफालतदार या उज्रदार या अन्य कोई शख्स पैदा होकर दावा अपना वावत विक्रीत प्लैट के करे या जुज या कुल विक्रीत प्लैट हाजा का कब्जा व दखल वबजह दावेदारी के क्रेता फरीक दायम से निकल जावे या कोई वार वावत जायदाद विक्रीत प्लैट के क्रेता फरीक दायम को देना पड़े तो क्रेता फरीक दायम को अख्त्यार मजाज वापसी जरे समन जुज का जुज और कुल का कुल मय हर्जा व खर्चा व नुकसान के मुझ विक्रेता फरीक अव्वल की जात व दीगर जायदाद व वारिसान व कायम मुकामान हर किसम मुझ विक्रेता फरीक अव्वल से हासिल होगी, विक्रीत सम्पत्ति का विक्रेता के द्वारा किसी के पक्ष में आज से पूर्व कोई बयनामा व वसीयतनामा, दानपत्र व मुख्तारनामा आम नहीं किया है और सम्पत्ति के स्वामित्व, कब्जा व चौहददी में कोई विवाद नहीं है विक्रीत सम्पत्ति की सीमाओं में कोई वाणिज्यिक/व्यावसायिक गतिविधिक विद्यमान नहीं है लिहाजा यह बैनामा कतई लिख दिया कि सनद रहे ।

तफसील व हदूदअर्वा आवासीय तल मजकूर - एक किता आवासीय प्लैट नम्बरीपलोर वाकै
, बरेली जिसमें निर्मितप्लैटों का कुल आच्छादित क्षेत्रफलवर्ग
 मीटर है जिसमें विक्रीत आवासीय तल का कुल आच्छादित क्षेत्रफलवर्ग मीटर है जिसकी कीमत निर्धारित
 सर्किल रेट मुवलिंग/- रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुवलिंग/- रुपये होती
 है एवं आवासीय प्लैट अपर ग्राउण्ड पलोर में आनुपातिक भूमिवर्ग मीटर है जिसकी कीमत निर्धारित सर्किल
 रेट मुवलिंग/- रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से विलमुक्ता मुवलिंग/- रुपये है
 यानि विलमुक्ता मुवलिंग/- रुपये पर पार्किंग, पाबर वैक अप, सुरक्षा गार्ड, लिपट की सुविधाओं के कुल
 10 प्रतिशत बढ़ाकर तत्पश्चात 6 प्रतिशत पार्किंग का बढ़ाकर यानि कुल सरकारी कीमत विलमुक्ता मुवलिंग
/- रुपये है विक्रीत प्लैट मजकूर मुवलिंग/- रुपये में क्रय किया गया है अतः इसी बाजारी मूल्य
 पर स्टाम्पशुल्क मय विकासशुल्क के अदा किया गया है ।

पूरब -
 पश्चिम -
 उत्तर -
 दक्षिण -

हम पक्षकार घोषित करते हैं कि विक्रीत सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के द्वितीय भाग क्षेत्राधिकार में दिये गये सीमांकन के अन्तर्गत स्थित है । विक्रीत सम्पत्ति का निकटतम चिन्हित मार्ग संख्याहै जिससे विक्रीत सम्पत्ति की दूरीमीटर है । मूल्यांकन सूची के पृष्ठ संख्याके क्रमांकके कॉलमबी. कोड़में निर्धारित दर के अनुसार गणना कर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है । प्रलेख में दिये गये विवरण की पूर्ण जिम्मेदारी हम पक्षकारों की होगी धारा 27 स्टाम्प अधिनियम का पूर्ण पालन किया गया है ।

तफसील वसूल जरे समन -